न्यायालय अंचल अधिकारी, डोमचांच (कोडरमा)

आदेश

विविध वाद संख्या–05/2016–17

प्रसंगः– रामकिशोर यादव बगैरह बनाम् द्वारिका महतो

आवेदक रामकिशोर यादव तथा पुरनाडीह के अन्य ग्रामीणों तथा ग्राम पंचायत पुरनाडीह के मुखिया ईश्वर साव/पंचायत समिति सदस्य किशोरी तुरी के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है कि मौजा पुरनाडीह के खाता सं0–329, प्लॉट सं0–1946 एवं 1948 क कुल रकवा 0.87 एकड़ जमीन पर गाँव का सार्वजनिक दूर्गा/हनुमान मंदिर स्थापित है। उक्त स्थान पर ग्रामीणों के द्वारा 100–200 वर्षों से पूजा–अर्चना होते आ रहा है तथा इस जमीन पर ग्रामीणों का सार्वजनिक रास्ता भी है, जो गाँव को पी0डब्लू0डी0 रोड (कोडरमा गिरिडीह) से जोड़ता ह। उक्त खाता, प्लॉट तथा रकवा पर विभिन्न सारा शिकायत किया गया है। (1) फर्जी तरीके से कर्मचारी से मिलकर बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से रसीद निर्गत किया गया। (2) द्वारिका महतो के द्वारा जो जमाबंदी–बन्दोबस्त कागजात प्रस्तुत किया गया जो अभिलेखागार हजारीबाग से सत्यापित कॉपी की माँग की गई तो अभिलेखागार के द्वारा इसकी कॉपी के विषय में बोला कि इसकी कोई कॉपी अभिलेखागार में नहीं है और न ही सूची जमाबंदी में दर्ज है। (3) द्वारिका महतो के द्वारा फर्जी बंदोबस्त कागताज 1966–67 का दिखाया गया तो खाता सं0–329 प्लॉट सं0–1948, रकवा–55 डी0 मधे 15 डी0 जमीन सरकारी पर्चा द्वारा झरी पासी, पिता–स्व0 पाचु पासी को केस सं0–2/1977–78 के माध्यम से प्राप्त होता है जबकि द्वारिका महतो प्लॉट सं0–1948 के कुल रकवा का फर्जी बंदोबस्त दिखाता है। इसी जमीन पर झरी पासी के द्वारा ताड़ी बेचा जाता था, लेकिन सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर उन्होंने भी जमीन सार्वजनिक कार्य के सुपुर्द कर दिया और जगह खाली कर दिया। इस प्रकार और शिकायत भी जनता के द्वारा आवेदन में किया गया है।

उक्त प्राप्त आवेदन के आलोक में संबंधित राजस्व कर्मचारी–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक ने जांच कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा पुरनाडीह के थाना सं0–214, खाता सं0–329 प्लॉट सं0–1946 रकवा–0.32 एकड़ एवं प्लॉट सं0–1948 रकवा–0.55 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास खाता की भूमि है, जो कोडरमा–गिरीडीह मुख्य मार्ग के किनारे अवस्थित है। प्लॉट सं0–1946 में सार्वजनिक दुर्गा मण्डप, रामनवमी पूजा स्थान एवं एक कोने में कुम्हरण स्थान अवस्थित है जहाँ ग्रामीणों द्वारा पूजा–अर्चना की जाती है, जो स्थानीय जाँच एवं स्थानीय लोगों से पुछ–ताछ में बताया गया। एक–दूसरा प्लॉट सं0–1948 जिसमें होकर खनन्–पट्टाधरियों द्वारा खनित पत्थर का संप्रेषण किया जाता है। प्लॉट सं0–1946 से होकर ग्रामीण मुख्य मार्ग पर पहुँचते है। उक्त दोनों प्लॉट के अलावे प्लॉट सं0–1615 रकवा–0.15 एकड़ अर्थात तीनों प्लॉट का कुल रकवा–1.02 एकड़ भूमि पोखन महतो, पिता–दुली महतो साकिन–पुरनाडीह द्वारा बंदोबस्ती वाद सं0–67/66–67 द्वारा बंदोबस्ती द्वारा हासिल बंदोबस्तधारी रैयत के पुत्र द्वारिका महतो द्वारा बताया जा रहा है। उक्त बंदोबस्ती वाद सं0–67/66–67 के आलोक में चालू मांग पंजी II के पृष्ठ सं0–202/I पर जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद वर्ष 2008–09 तक निर्गत है। उक्त बंदोबस्ती को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा फर्जी बताया जा रहा है। उक्त प्रश्नगत भूमि को लेकर बंदोबस्तधारी रैयतके वंशज एवं स्थानीय ग्रामीणों के बीच विवाद है।

तदोपरांत राजस्व कर्मचारी–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक एवं द्वितीय पक्ष को अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में कागजात के साथ अंचल कार्यालय, डोमचांच के न्यायालय में उपस्थित होने हेतू निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई।

आवेदकगण ने अपने दलील/उत्तर लिखित में कहा कि मौजा पुरनाडीह के खाता सं0–329, प्लॉट सं0–1946 एवं 1948 क कुल रकवा 0.87 एकड़ जमीन पर गाँव का सार्वजनिक दूर्गा/हनुमान मंदिर स्थापित है। उक्त स्थान पर ग्रामीणों के द्वारा 100–200 वर्षों से पूजा–अर्चना होते आ रहा है तथा इस जमीन पर ग्रामीणों का सार्वजनिक रास्ता भी है, जो गाँव को पी0डब्लू0डी0 रोड (कोडरमा गिरिडीह) से जोड़ता है।

चूंकि यह भूमि किमती होने के कारण राजस्व कर्मचारी से लेकर रोकड़ रूम तक फर्जीवाड़ा किया गया, जो इस प्रकार निम्नवत् हैः–

(1) फर्जी तरीके से कर्मचारी से मिलकर बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से रसीद निर्गत किया गया।

(2) द्वारिका महतो के द्वारा जो जमाबंदी–बन्दोबस्त कागजात प्रस्तुत किया गया जो अभिलेखागार हजारीबाग से सत्यापित कॉपी की माँग की गई तो अभिलेखागार के द्वारा इसकी कॉपी के विषय में बोला कि इसकी कोई कॉपी अभिलेखागार में नहीं है और न ही सूची जमाबंदी में दर्ज है।

(3) भूमि नियमानुसार बंदोबस्त या जमाबंदी उन्हीं दि जाती है, जो भूमिहिन हो या अनुसूचित जाति/जनजाति से हो लेकिन द्वारिका महतो एक बड़ा किसान है, जिनके वंशज में पचासों एकड़ भूमि है, जो बहुत सा भूमि अभी भी खाली पड़ा है। जहां जोत-आबाद नहीं होता है।
(4) द्वारिका महतो के द्वारा फर्जी बंदोबस्त कागताज 1966-67 का दिखाया गया तो खाता सं0-329 प्लॉट सं0-1948, रकवा-55 डी0 मधे 15 डी0 जमीन सरकारी पर्चा द्वारा झरी पासी, पिता-स्व0 पाचु पासी को केस सं0-2/1977-78 के माध्यम से प्राप्त होता है जबकि द्वारिका महतो प्लॉट सं0-1948 के कुल रकवा का फर्जी बंदोबस्त दिखाता है। इसी जमीन पर झरी पासी के द्वारा ताड़ी बेचा जाता था, लेकिन सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर उन्होंने भी जमीन सार्वजनिक कार्य के सुपुर्द कर दिया और जगह खाली कर दिया।

आवेदकगण के द्वारा अंतिम कारण यह बताया गया कि इस तरह से बहुत से प्रमाण है, कि द्वारिका महतो, फर्जीबाड़ा करके जमीन को हड़पना चाहता है। कुछ भी होने की आशंका है और द्वारिका महतो की अवैध कब्जा से ग्रामीणों का आवागमन का मार्ग मंदिर के पूजा-अर्चना सब बन्द हो जायेगा। साथ ही अनुरोध किया है कि उक्त भूमि का अवैध जमाबंदी को रद्द कर भूमि को सार्वजनिक करने की कृपा की जाय।

आवेदकगण ने अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज की छायाप्रति दाखिल किया है, जो इस प्रकार निम्नवत् है:-

1. शिकायत का मूल आवेदन की प्रति।
2. केवाला संख्या-629, दिनांक 21.02.2014 की छायाप्रति।
3. बंदोवस्ती वाद संख्या-67/66-67 पोखन महतो के नाम से सत्यापित प्रति की छायाप्रति।
4. बंदोवस्ती वाद संख्या-02/77-78 लखन धोबी बगैरह के नाम से सत्यापित प्रति की छायाप्रति।
5. मौजा पुरनाडीह खाता सं0-329 पोखन महतो के नाम से वर्ष-2006-07 का रसीद की छायाप्रति।
6. मौजा पुरनाडीह खाता सं0-329 पोखन महतो के नाम से वर्ष-2008-09 का रसीद की छायाप्रति।
7. बंदोवस्ती वाद सं0-02/77-78 झरी पासी के नाम से पर्चा की छायाप्रति।
8. श्री रामकिशोर यादव ने प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, हजारीबाग से सूचना प्राप्त किया है, पत्र का ज्ञापांक 74, दिनांक 23.06.2016 की छायाप्रति।
9. श्री रामकिशोर यादव ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा से जो सूचना प्राप्त किया है, उस पत्र का ज्ञापांक 340, दिनांक 22.09.2016 की छायाप्रति।.

द्वितीय पक्ष ने अपने दलील तथा लिखित उतर समर्पित किया गया है जो बिन्दुवार निम्नवत् है:-

1. यह कि विपक्षी द्वारिका महतो पर लगाये गये आरोप सत्य से परे एवं गलत है। द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि उक्त भूमि पर वर्षो से मेरा मकान बना हुआ है।
2. यह कि ग्राम पुरनाडीह में सार्वजनिक दुर्गा मंदिर खाता सं0-329, प्लॉट-1749 पर स्थित है, जो प्लॉट 1946 के बगल में है। सार्वजनिक दुर्गा मंदिर प्लॉट-1946 एवं 1948 पर स्थित नहीं है और आवेदकगण गलत ब्यानी कर रहे है। हनुमान मंदिर प्लॉट-1946 मेन रोड के दक्षिण तरफ स्थित है। प्लॉट-1946 पर कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं है। प्लॉट 1948, रकवा-55 डी0, जो द्वारिका महतो का है, प्लॉट-1948 के सटे सार्वजनिक पक्का रोड है जो कोडरमा गिरिडीह रोड के नाम से जाना जाता है। प्लॉट-1948 रोड के दक्षिण में स्थित है। किशोर तुरी का उपरोक्त भूमि से कोई लेना-देना नहीं है और ना ही कोई वैध कागजात है।
3. यह कि मौजा पुरनाडीह में 1966 में लघु सर्वे हुआ था। इसके पूर्व 1911 के केडस्टल सर्वे में विवादित भूमि पुराना खाता-13, प्लॉट-1427, रकवा-06 डी0, जो खतियान में द्वारिका महतो का पूर्वज अनहच महतो बगैरह की रैयती खतियानी जमीन थी। दूसरा प्लॉट-1430, रकवा-02 बिघा था, जो खाता-81 में स्थित था, उनकी रैयती बंदाबस्ती थी।
4. यह कि अंततः राजय सरकार द्वारा वाद सं0-67/66-67 द्वारा द्वारिका महतो के पिता-पोखन महतो, पिता-दुलाली महतो प्लॉट-1946 रकवा-32 डी0, प्लॉट-1948 में 55 डी0 और प्लॉट-1615 में 15 डी0 भूमि कुल रकवा-1.02 एकड़ भ्झूमि जो नया खाता सं0-329 में स्थित है, की बंदाबस्ती की गई है, उस बंदोबस्ती का उल्लेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा के बंदोबस्ती पंजी कम सं0-56 में दर्ज है। पंजी II के वॉल्यूम सं0-01 मं पृष्ठ सं0-202 पर बंदोबस्तधारी श्री पोखन महतो वल्द दुल्ली महतो का नाम दर्ज है और प्रारंभ से ही रसीद निर्गत हो रहा है।
5. यह कि प्लॉट-1948 की 55 डी0 बंदोबस्ती भूमि के अंश पर रोड की ओर द्वारिका महतो द्वारा निर्मित मकान स्थित है।

6. यह कि प्लॉट 1615 की बंदोबस्ती भूमि 15 डी0 का उपयोग पोखन महतो अपने बारी के रूप में किया।
7. यह कि वाद सं0–02/77–78 द्वारा झरी पासी को खाता–329 प्लॉट–1948 में 45 डी0 भूमि बंदोबस्त की गई वह गलत है। बंदोबस्ती रजिस्टर में केश सं0–02/77–78 के द्वारा लखन धोबी और 55 अन्य ग्रामीणों का 51.88 एकड़ भूमि बंदोबस्त सिरियल सं0–127 में वर्णित है। उसमें खाता सं0–329, प्लॉट–1948 का कोई जिक नहीं है और उनका बंदोबस्ती का दावा गलत है।
8. आवेदक राम किशोर यादव द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त कर जो भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है, वह भी भ्रामक है।
9. यह कि पत्रांक 250 दिनांक 06/03/2017 द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने अंचल अधिकारी, डोमचाँच को जो प्रतिवेदन दिया है कि अभिलेख संख्या–67/66–67 संदेहास्पद है वह पूर्णतया गलत है। चूंकि पोखन महतो की बंदोबस्ती का जिक दूसरे स्याही से किया गया हो लेकिन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का हस्ताक्षर सही है और उनके उस पृष्ठ पर हस्ताक्षर एक समान है स्याही बदलने से हस्ताक्षर जाली नहीं हो जाता और बंदोबस्ती संदेहात्मक नहीं हो जाता है।
10. यह कि अंचल अधिकारी, मरकच्चो द्वारा पत्रांक 225, दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्रतिवेदन देना कि बंदोबस्ती पर्चा सं0–67/66–67 द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सेटलमेंट रजिस्टर में वर्ष 66–67 में कोई बंदोबस्ती बाद दर्ज नहीं है, जो गलत एवं भ्रामक है। सेटलमेंट रजिस्टर के कम सं0–56 में पोखन महतो को खाता सं0–329, प्लॉट–1948/2, 1946/2, 1615/2 में रकवा–1.02 एकड़ भूमि बंदोबस्त की गई, जिसका वाद सं0–67/66–67 दर्ज है।
11. यह कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारिका महतो को उपरोक्त भूमि पर अपने हक दखल कब्जा का दाव सही है और आवेदकगण द्वारा लगाये गये सभी आरोप गलत एवं मनगढंत भ्रामक एवं सत्य से परे है।

द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज की छायाप्रति दाखिल किया है, जो इस प्रकार निम्नवत् है:–

1. बंदोवस्ती वाद–67/66–67 पोखन महतो, पिता–दुली महतो के नाम से सत्यापित प्रति की छायाप्रति।
2. मौजा पुरनाडीह खाता सं0–329 पोखन महतो के नाम से वर्ष–2011–12 लगान रसीद की छायाप्रति।
3. मौजा पुरनाडीह खाता सं0–329 पोखन महतो के नाम से वर्ष–2006–07 लगान रसीद की छायाप्रति।
4. मौजा पुरनाडीह खाता सं0–329 पोखन महतो के नाम से वर्ष–2008–09 लगान, रसीद की छायाप्रति।
5. बंदोवस्ती वाद सं0–02/77–78 लखन धोबी बगैरह के नाम से सत्यापित प्रति की छायाप्रति।
6. मौजा पुरनाडीह के खाता सं0–329 का खतियान की छायाप्रति, कुल तीन पन्ना।
7. द्वितीय पक्ष के जो माईंस मालिक इनके भूमि से गाड़ी पार करते है, उसके बदले प्राप्त पैसे का प्राप्ति रसीद/चेक की छायाप्रति।
8. हुकुमनामा की छायाप्रति संलग्न।
9. वर्ष 1911 ई. का सर्वे का नक्शा की छायाप्रति।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक– 250/ दिनांक 06/03/2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बन्दोबस्ती पर्चा सं0–02/77–78 (लखन धोबी वगैरह) में झरी पासी पिता– साकिन–पुरनाडीह एवं बन्दोबस्ती पर्चा सं0– 67/66–67 (पोखन महतो वल्द स्व0 दुली महतो साकिन–पुरनाडीह के नाम से मौजा–पुरनाडीह के खाता सं0–329 के किस प्लॉट में कितना रकवा बन्दोबस्त किया गया है का विस्तृत जानकारी का मांग किया गया है जो निम्नवत्:–

1. बन्दोबस्ती पर्चा सं0–02/77–78 :– कार्यालय में उपलब्ध बन्दोबस्ती पंजी वर्ष 1975–76(मरकच्चो) के पृष्ठ सं0–32 के क्रमांक 126 पर श्री लखन धोबी और 55 अन्य ग्राम– मरकच्चो, पुरनाडीह, बरवाडीह, धरगाँव, वरोटांड़, ताराटांड़, सिमरिया, दाशारोखुर्द, विन्डमोह, विचरिया, नवादा इत्यादि के खाता नं0–329, 3219, 1818, 51, 377, 14, 27, 190, 583, 65, 36, 90, 157, 34, 157, 36, 119 एवं 120 प्लॉट नं0–81, 2998, 3015, 14472, 14465, 13706, 13708, 1350, 1203, 1000, 63/4, ½, 537, 1023, 912, 60, 62, 309, 1045, 654, 620, 743, 796, 892, 2436, 1104/1481, 2506 इत्यादि रकवा–51.88 डी0 15.88 अलावे शेष अभिलेख सं0–2/77–78 दिनांक,–02.09.77 अंकित है।
2. बन्दोंबस्ती पर्चा सं0–67/66–67 :– कार्यालय में उपलब्ध बन्दोबस्ती पंजी के पृष्ठ सं0–79 के क्रमांक–56 पर पोखन महतो पिता–स्व0 दुली महतो जाति–ग्वाला साकिन–पुरनाडीह खाता नं0–329 प्लॉट नं0–1948/2, 1946/2, एवं 1615/2, रकवा क्रमशः 0.55, 0.32, 0.15 दिनांक–23.02.66 अभिलेख सं0–67/66–67 वर्ष 1966–67 स्वीकृति की तिथि 5.9. अंकित है। जो फर्जी/सन्देहात्मक प्रतीत होता है, जिसका निम्न कारण है:–

1. कोडरमा अनुमण्डल का स्थापना वर्ष–1972–73 में हुआ है। इसके पूर्व अनुमण्डल स्थित सभी कार्य सदर अनुमण्डल, हजारीबाग से होता था।
2. बन्दोबस्ती पंजी के पेज नं0–79 से 80 तक क्रम सं0–55 एवं 56 के खाली स्थान पर क्रमांक–56 अंकित कर प्रखण्ड मरकच्चो, ग्राम– पुरनाडीह नाम पोखन महतो वल्द स्व0 दुली महतो जाति– ग्वाला साकिन– पुरनाडीह का नाम चढ़ाया गया है। जिसका लिखावट, स्याही क्रमांक–55 एवं उसके पिछे का क्रमांक एवं पृष्ठ सं0–80 का क्रमांक–56 एवं अन्य क्रमांक का लिखावट एवं स्याही से भिन्न है।
3. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का हस्ताक्षर भी फर्जी एवं जाली है।

अंचल अधिकारी, मरकच्चों के पत्रांक–225/ दिनांक 21/04/2017 .के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बदोबस्ती पर्चा सं0–02/77–78 (लखन धोबी वगैरह) में झरी पासी पिता–पाचु पासी साकिन– पुरनाडीह एवं बन्दोबस्ती पर्चा सं0–67/66–67 (पोखन महतो वगैरह) में पोखन महतो वल्द स्व0 दुली महतो साकिन – पुरनाडीह के नाम से मौजा–पुरनाडीह के खाता नं0 329 के किस प्लॉट में कितना रकवा बन्दोबस्त किया गया है, का सत्यापन प्रतिवेदन की मांग किया गया है जो निम्नवतः–

1. बन्दोबस्ती पर्चा सं0–02/77–78 :– कार्यालय में उपलब्ध बन्दोबस्ती पंजी के आधार पर उक्त बन्दोबस्ती पर्चा के अंतर्गत मौजा–पुरनाडीह के खाता सं0– 320 में निम्न प्रकार भूमि बन्दोबस्त की गई है:–

क्र	बन्दोबस्ती रैयत का नाम	मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा एकड़	जमाबन्दी का पृष्ठ सं0	अभि0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखन धोबी पिता–फागु धोबी	पुरनाडीह	329	259	1.00	71	
2.	फागु तुरी पिता–दरवारी तुरी	पुरनाडीह	329	259	0.20	173	
3.	एतवारी तुरी पिता– प्रितम तुरी	पुरनाडीह	329	3003	1.03	175	

बन्दोबस्ती पर्चा सं0–67/66–67:– कार्यालय में उपलब्ध Settlement register में वर्ष–1966–67 में कोई बन्दोबस्ती वाद संख्या दर्ज नहीं है।

उभय पक्षों को सुनने/उतर लिखित, राजस्व कर्मचारी–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवदेन, श्री रामकिशोर यादव के द्वारा मांगी गई सूचना अधिकार अधिनियम के तहत् भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा ज्ञापांक 340, दिनांक 22.09.2016 तथा पत्रांक 250, दिनांक 06.03.2017, अंचल अधिकारी, मरकच्चो के पत्रांक 225, दिनांक 21.04.2017 के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि द्वारिका महतो की बंदोबस्ती भूमि संदेहात्मक प्रतीत होता है। अतः श्री महतो का बंदोबस्ती रद्द हेतु अभिलेख अनुशंसा के साथ अग्रतर कारवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित
24/4/17.
अंचल अधिकारी,
डोमचाँच।

24/4/17.
अंचल अधिकारी,
डोमचाँच।

7.6.17 अंचल अधिकारी, डोमचांच का पत्रांक–361 दिनांक–24.04.17 के द्वारा अभिलेख प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी द्वारा श्री द्वारिका महतो का बन्दोबस्ती भूमि रदद् करने का अनुशंसा किया गया है। अभिलेख का अवलोकन करने से यह स्पष्ट नही होता है, कि अंचल अधिकारी द्वारा किस बन्दोबस्ती भूमि को रदद् करने का अनुशंसा किया गया है।

अतः रदद् किये जाने वाले भूमि का विवरणी एवं स्पष्ट अनुशंसा हेतु अभिलेख अंचल अधिकारी, डोमचांच को वापस भेजें।

07/06/17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।

1/08/2017 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक 515/रा0, दिनांक 10.06.2017 के द्वारा अभिलेख प्राप्त हुआ है कि श्री द्वारिका महतो का बंदोवस्ती भूमि रद्द करने का अनुशंसा किया गया है परंतु अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अंचल अधिकारी के द्वारा किस बंदोवस्ती भूमि को रद्द करने की अनुशंसा किया गया है। बंदोवस्ती भूमि को रदद् किये जाने वाली भूमि का विवरणी एवं स्पष्ट अनुशंसा कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मांग की गई है।

अतः बंदोवस्ती वाद सं0–67/66–67 श्री द्वारिका महतो; पिता–स्व0 दुली महतो, जाति–ग्वाला साकिन–पुरनाडीह के नाम भूमि मौजा पुरनाडीह थाना सं0–214, खाता सं0–329, प्लॉट–1648/2, 1946/2, 1615/2 के कुल रकवा–1.02 एकड़ भूमि का बंदोवस्ती रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा को भेजे।

01/8/17

अंचल अधिकारी,
डोमचाँच।

06.09.17

अंचल अधिकारी, डोमचांच का पत्रांक–678 दिनांक–07.08.2017 के द्वारा अभिलेख त्रुटि निराकरण के पश्चात् प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी द्वारा भूमि बन्दोबस्ती वाद सं0–67/66–67 श्री द्वारिका महतो पिता–स्0 दुली महतो जाति–ग्वाला साकिन–पुरनाडीह के नाम भूमि मौजा–पुरनाडीह थाना सं0–214 खाता नं0–329 प्लॉट सं0–1648/2, 1946/2, 1615/2, के कुल रकवा–1.02 एकड़ भूमि का बन्दोबस्ती रदद् करने का अनुशंसा किया गया है, जिसमें निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई है:–

1. प्रस्तावित खाता एवं प्लॉट के किस प्लॉट में कितना रकवा निहीत है, प्लॉटवार अंकित करें।
2. प्रस्तावित खाता एवं प्लॉटों का पुनः पर्चा से मिलान कर प्रस्ताव दें।

अतः उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण हेतु अभिलेख अंचल अधिकारी, डोमचांच को वापस भेजें।

06/9/17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक 700/रा0, दिनांक 06.09.2017 के द्वारा अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें निम्नलिखित बिन्दु पर त्रुटियां पाई गई जिसका निराकरण इस प्रकार है:–

1. मौजा पुरनाडीह के खाता सं0–329 प्लॉट सं0–1948/2 रकवा–0.55 एकड़ प्लॉट सं0–1946/2 रकवा–0.32 एकड़ एवं प्लॉट सं0–1615/2, रकवा–0.15 एकड़ कुल रकवा–1.02 एकड़ का बंदोबस्ती रद्द करना है।
2. प्रस्तावित खाता एवं प्लॉटों का पुनः पर्चा से मिलान कर प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

अतः बंदोवस्ती वाद सं0–67/66–67 श्री द्वारिका महतो, पिता–स्व0 दुली महतो, जाति–ग्वाला साकिन–पुरनाडीह के नाम बंदोवस्ती रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा को भेजे।

16/9/17.

अंचल अधिकारी,
डोमचाँच।